ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 122-126

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संदर्भ में भारतीय समाज में समावेश और बहिष्कारण के मानदंड

रेनू

एम0फिल0 बुद्धिस्ट स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Received- 16.02. 2022, Revised- 21.02 2022, Accepted - 25.02.2022 E-mail: vijayverma@gmail.com

सारांशः – *एक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। यह अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त है। एक स्त्री की प्रथम पहचान एक मानव व औरत के रूप में होती है ,परन्तु समाज द्वारा अन्य पहचान मां पत्नी बहू और बेटी में उसकी पहचान को दबा दिया जाता है। इन सभी पहचानों को निभाने में स्त्री को सामाजिक, आर्थिक या अन्य स्तर पर समावेश व बहिष्कारण का सामना करना पड़ता है। क्या कारण है जो भारतीय समाज में स्त्री की प्रजनन क्षमता उसके बहिष्करण व समावेश का स्रोत बनती हैं? भारत में प्रजनन संबंधी स्त्री के अधिकार कानूनों व प्रावधानो की क्या स्थिति हैं? इन सभी प्रश्नों का वर्णन हम अपने लेख में करेंगे तथा उसके उत्तर तलाशने का भी प्रयास करेंगे।*

कुंजीभूत शब्द– प्रजनन क्षमता, बहिष्करण, समावेश, व्यक्तिगत क्षमता, बहिष्कारण, गौरवपूर्ण जीवन, आत्मसम्मान ।

बहिष्कारणव समावेश का अर्थ– हेलरी सिल्वर के अनुसार "बहिष्कारण का अर्थ समाज के क्रिया में भागीदारी तथा सूचना, संसाधन, सामाजिकता मान्यता तथा पहचान तक पहुंच का ना होना तथा आत्मसम्मान का अभाव व व्यक्तिगत क्षमता का व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने में अक्षम होना है।"[1] सेन सक्रिय और निष्क्रिय रूप में बहिष्कारण का वर्णन करते हैं। बहिष्कारण को हम व्यक्ति की गौरवपूर्ण जीवन जीने पर बाधा व प्रतिबंध के रूप में देख सकते हैं जो उसकी पहुंच को रोकता हैं। समावेश उसे अधिकार व सम्मान पुनःजीवन प्रदान करता है।

स्त्री की प्रजनन क्षमताके संदर्भ में बहिष्कारण तथा समावेश– स्त्री को हर स्तर पर समाजिक व आर्थिक बहिष्कारण का शिकार होना पड़ता है इसके पीछे कई कारण जिसमे प्रमुख है, समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था। मोशन बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला का माँ बनना व न बनना उसका अधिकार है और उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। यह अधिकार समाज में एक इंसान के रूप में सम्मान के साथ जीने के उसके मानवाधिकार का हिस्सा है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित है। भारतीय समाज और संस्कृति में स्त्री को जगत जननी जगत माता की उपाधि दी गई है। इस भूमिका को निभाने के लिए उसे हर स्तर पर बहिष्कारण का सामना करना पड़ता है जिसका वर्णन इस प्रकार है–

बांझपन– स्त्रियों में बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसके कई कारण है जैसे बचपन में पोषण आहार का ना मिलना, देरी से विवाह व शारीरिक बीमारियां इत्यादि। हमारे समाज में बच्चा न होने का दोष हमेशा एक स्त्री को ही दिया जाता है। एक अध्ययन में ग्राम की महिलाओं से प्रश्न किए गए कि उन्हें सबसे अधिक क्या समस्या है जहां स्त्रियों ने बांझपन को प्रथम नंबर पर रखा "बधित गर्भावस्था में महिला केवल एक बार मरती है परंतु यदि वह बांझ है तो हर दिन मरती है क्योंकि सभी उसे ही दोष देते हैं।"[2]

अविवाहित स्त्री का मां बनना– भारतीय समाज में बच्चे को पहचान उसके पिता के नाम से मिलती हैं। कानून भी इसी प्रकार के हैं गर्भपात का अधिकार विवाहित दंपति को है बिना विवाह के स्त्री सरकारी अस्पताल में अपनी मर्जी से गर्भपात नहीं करवा सकती है। जिस कारण कई जोड़ें गलत कदम उठाते हैं जिसका प्रभाव स्त्री के स्वास्थ्य शरीर पर पड़ता है। कुछ स्त्रियां निष्क्रिय रूप से इसे स्वीकार कर लेती हैं व चोरी छुपे गर्भपात करवा लेती हैं, क्योंकि वह समाज का सामना नहीं कर सकती, दूसरी ओर कुछ सक्रिय रूप से इस मान्यता को चुनौती देती है। हम कई महिला हस्तियों को देख सकते हैं, जो एकल मां की भूमिका निभा रही हैं।

रेप पीड़िता व बहिष्कारण– रेप पीड़िता के साथ एक कलंक समाज द्वारा जोड़ दिया जाता है। यदि इस कारण वह गर्भवती हो जाती है, तो क्या यह उसका निर्णय होता है कि वह गर्भावस्था को निरंतर रखे या गर्भपात करवा ले? 2013 के 'हालाबी बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य' केस में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि "रेप पीड़िता को बिना न्यायिक सत्ता की जरूरत के गर्भपात का निर्णय लेने का अधिकार है। हम रेप पीड़ित को रेपिस्ट के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इससे वह हर रोज बेज्जती का सामना करेगी जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा।"[3] कई केसों में न्यायालय द्वारा रेप पीड़िता के संबंध में 20 या 24 हफ्ते बाद रेप पीड़िता के स्वास्थ्य के अधिकार को देखते हुए गर्भपात निर्णय दिया है।

यह निर्णय स्त्री के संबंध में काफी प्रगतिशील है, परंतु इन सभी निर्णय में न्यायालय द्वारा दिए गए बयान में समाज

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

में बेइज्जती को प्रमुख स्थान दिया गया, जो स्पष्ट रूप से समाजकी पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण गर्भपात संभव नहीं है, तो क्या एक स्त्री अपने बच्चे के साथ एक सामान्य पूर्ण जीवन नहीं जी सकती हैं?

प्रसव के दौरान बहिष्करण – गर्भावस्था के दौरान भी स्त्रियों को विभिन्न प्रकार से बहिष्करण का सामना करना पड़ता है– उसे बाहर आने जाने से मना किया जाता है, बेबी बम के साथ उसे एक शर्म महसूस होती है, कई स्थानों पर वह जाने से परहेज करती है व वहीं दूसरी ओर कई बार पत्नी के गर्भवती होने पर जब वह पति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती तो पति से प्राप्त प्रेम में कमी आ जाती है व कई बार उसका बाहर अफेयर चलता है।

"बुंदेलखंड जहां गर्भवती होने की सूचना मिलने पर स्त्री के खान–पान पर नियंत्रण रखा जाता हैं। प्रसव ऐसे कमरे में करवाया जाता है जिसका सामान्य रूप से कम उपयोग होता है उसे डिलीवरी के समय पानी में शराब मिलाकर पिलाई जाती है प्रसव के बाद लगातार पांच दिन आग का धुआं दिया जाता है बच्चे के जन्म के 41 दिनों तक छुआछूत मानी जाती है इस अवधि में नवजात शिशु की मां को किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं होती इस अवधि में नवजात शिशु को भी मां से अलग रखा जाता है।"[4]

यहां हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार समाज की मान्यताओं ने प्रजनन को महिलाओं के पैरों की बेड़ी बना दिया है प्रजनन स्त्री को अधीनस्थ करने का एक साधन बनकर रह गया है।

शादी के पश्चात प्रजनन तथा बहिष्करण– विवाह स्त्री की प्रजनन क्षमता पर समाज की मोहर है तथा समाज में समावेश व राज्य के नीति और कार्यक्रम का लाभ उठाने का एक आधार है, परंतु क्या यथार्थ में ऐसा है विवाह के पश्चात भी महिलाओं को विभिन्न तरह के बहिष्करण का सामना करना पड़ता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है–

पुत्री की मां होना– शादी के पश्चात स्त्री को 'पुत्रवतीभवः'तथा 'दूधो नहाओ पूतोफालो' का आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि बच्चे में पुत्र को प्राथमिकता दी जाती हैं। कई बार यह कन्या भ्रूण हत्या का रूप ले लेती है। 2001 के सर्वे के अनुसार कन्या भ्रूण हत्या के सबसे ज्यादा केस दिल्ली व चंडीगढ़ जैसे शहरों से आए। कई बार वह निष्क्रिय रूप में जिंदगी भर समाज व परिवार के ताने सुनकर या अपनी शादी को तोड़ने के रूप में चुकानी पड़ती है। वह स्वयं भी बेटे की चाह रखती है, क्योंकि उसे पता है समाज में सम्मान का यही एक आधार है।

अन्य कारण– समाज में विकलांगता को एक कलंक के रूप में देखा जाता है, एक विकलांग बच्चा अपने कुल को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसे अपने हर कार्य के लिए उसे दूसरो पर निर्भर होना पड़ेगा। यदि बच्चा समाज की बनाई हुई दो श्रेणी स्त्री व पुरुष में नहीं आता तो उसे समाज में एक मनुष्य तक की मान्यता प्राप्त नहीं होती। उसके साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे बच्चे होने का दोष भी स्त्री को ही दिया जाता है।

यह सभी तथ्य एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि आखिर समावेश का आधार क्या है जिसे स्त्री को समाज में सम्मान मिल सकता है एक सामान्य,स्वस्थ ,हेट्रोसेक्सअल पुत्र का होना शायद स्त्री का समाज में समावेश व सम्मान प्रदान कर सकता है।

स्त्री की प्रजनन क्षमता तथा आर्थिक स्तर पर बहिष्कारण– समाज द्वारा कार्य का लैंगिक विभाजन किया गया है जहां घर व बच्चे की जिम्मेदारी को केवल स्त्री की श्रेणी में रखा गया है। यदि स्त्री नौकरी करती है तो उसे नौकरी के साथ–साथ यह सारी भूमिका भी निभानी पड़ती है। 1961 का मातृ व लाभ अधिनियम प्रजनन अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम था, "जिसमें गर्भवती स्त्री को 16 सप्ताह का अवकाश प्रदान कियाजाता है 2016 में किए गए संशोधन के द्वारा दो बच्चे पर 26 सप्ताह,एडोप्टिग बच्चे के लिए 12 सप्ताह तथा घर से काम की सुविधा व कंपनी में क्रेच की सुविधा प्रदान की जाएगी।"[5] यूजीसी द्वारा भी एम फिल व पी एच डी में स्त्री छात्रों को 240 दिन की मेटरनिटी लीव प्रदान की गई है।

परन्तु इसकी भी सीमा है यह औपचारिक व सरकारी क्षेत्र के स्थाई कर्मचारियों को ही प्राप्त है जबकि 95% से अधिक श्रमिक जिसमें बड़ा हिस्सा स्त्री का जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है जहां यह प्रावधान लागू नहीं होते। "तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र में सर्वे करने पर कुछ तथ्य सामने आए कुछ कंपनियों में स्पष्ट रूप से विवाहित को नौकरी पर रखने पर प्रतिबंधघ हैं। यदि पता चलता है कि वह गर्भवती है तो उसे जल्द से जल्द काम से निकाल दिया जाता है कार्य करने में अविवाहित स्त्री को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उस पर घर की जिम्मेदारी कम होती है।"[6]

दो लोक विभाग एयर इंडिया व भारतीय एयरलाइन में स्त्रियों के संबंध में भेदभाव पूर्ण प्रावधान है। एयर होस्टेस 35 साल की आयु तथा विवाह व 4 साल की सेवा में पहली बार गर्भवती होने परवह रिटायर हो सकती है यह प्रावधान 14,15,16 व 21 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं उच्च न्यायालयका निर्णय भी इस प्रावधान का समर्थन करता है। उपेंद्र बक्शी कहते है जरूरी है, कि श्रम अधिकार, समान वेतन व अच्छी कार्य स्थिति के अधिकार को प्रजनन अधिकार के अनुसरण में देखें।[7]

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

बहिष्कारण कि प्रक्रिया 'शून्य–संचय खेल' की तरह है, सामाजिक स्तर पर स्त्री का समावेश आर्थिक स्तर पर बहिष्करण का कारण हो सकता है।

प्रजनन तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव– कई स्त्रियों का स्वास्थ्य बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं होता परंतु समाज व परिवार उन पर बच्चा करने का दबाव डालता रहता है जिस कारण उन्हें विभिन्न शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा कई बार स्त्रियों की प्रसव के दौरान या उसके पश्चात मृत्यु भी हो जाती है।

2006–08 के सर्वे के अनुसार 15–18 वर्ष की 2742.4% विवाहित व 2108 अविवाहित स्त्री ने "रीप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इनफेक्शन" के कम से कम एक लक्षण की शिकायत की।[8]

यूनिसेफ इंडिया और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया भर में सबसे अधिक मातृ मृत्यु की संख्या में गिना जाता है। भारत में हर साल 45,000 मातृ मृत्यु होती है, हर 12 मिनट में औसतन एक मातृ मृत्यु होती है।

असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। केवल 22: गर्भपात सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यमसे किए जाते हैं।

तमिलनाडु में गर्भपात दर (11.4%) भारत (6.1%) से भी अधिक हैं।[9] गर्भपात महिला द्वारा उसके लैंगिक प्रजनन अधिकार का प्रयोग नहीं बल्कि यह महिला के उन महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी है जहां महिलाओं को न ही गर्भनिरोधक के प्रयोग तथा लैंगिक अंतर्संबंध से माना करने का अधिकार है।

नवीन तकनीकी का स्त्री पर प्रभाव टेस्ट ट्यूब बेबी व सेरोगेसी के द्वारा कई स्त्रियों का मां बनने का सपना पूरा हुआ है, परंतु साथ ही नवीन तकनीकी ने पुरानी मान्यता स्त्री की एक मां के रूप पहचान व पितृसत्तात्मक सोच को ओर अधिक दृढ़ कर दिया है। एक तो यह नवीन तकनीकी बहुत अधिक महंगी है साथ ही इस प्रक्रिया में महिलाओं को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है।

प्रजनन अधिकार तथा कानूनी प्रावधानों का एक अध्ययन– भारतीय संविधान में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का वर्णन विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया हैं–मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता,15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध, 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता तथा 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। वहीं राज्य के नीति निर्देशक का अनुच्छेद 39 (ई),42,45 व 47 में हमें महिलाओं की प्रजनन अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा कई केसों में इन अधिकारों की व्याख्या भी प्रदान की–

नवतेज जौहर निर्णय में न्यायालय ने व्यभिचार और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि महिलाओं को यौन स्वायत्तता का अधिकार है, जो उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।[10]

पुट्टस्वामी निर्णय ने विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में महिलाओं के प्रजनन विकल्प चुनने के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी जिसमें एक गर्भावस्था को उसके पूर्ण कार्यकाल तक ले जाने, जन्म देने और बाद में बच्चों को पालने का अधिकार शामिल है। साथ ही यह अधिकार एक महिला के निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार का हिस्सा हैं।[11]

देविका बिस्वास बनाम भारत संघ कोर्ट ने माना कि प्रजनन अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता में सहमति के आधार पर नसबंदी के संबंध में चुनाव करने का अधिकार और किसी भी प्रकार के जबरदस्ती से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।

स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ के मामले में लड़कियों के प्रजनन अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "एक बालिका के मानवाधिकार बहुत महत्वपूर्ण, मान्य और एक समूह के समावेश के लिए बहिष्करण के हर स्तर पर चुनौती देना आवश्यक है सामाजिक व्यवस्था तथा संस्थागत कानून में परिवर्तन करना तथा सक्रिय कानून निर्माण आवश्यक है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह विवाहित या अविवाहित।"[12]

1995 का बीजिंग सम्मेलन घोषणा करता है कि 'महिला को अपने स्वास्थ्य के सभी पक्ष मुख्यता अपनी उपजाऊ जो सशक्तिकरण का आधार है प्रसव पर नियंत्रण के अधिकार को मान्यता देता है। सभी घोषणाओं को भारत ने भी स्वीकार किया है। भारत कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का भी एक हस्ताक्षरकर्ता है, जैसे महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू)य नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (आईसीसीपीआर)य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (आईसीईएससीआर) और बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरसी), जो सभी प्रजनन अधिकारों को मान्यता देते हैं।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून व अधिनियम–

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 तथा 2016 में संशोधन

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971तथा1975, 2002 व 2021 में संशोधन

प्री–नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 'पीएनडीटी' एक्ट 1994, तथा 2003 में संशोधन

अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की प्रजनन संबंधी विभिन्न अधिकारों को मान्यता प्रदान कि गई है तथा उन्हें लागू भी किया गया है परंतु इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति गंभीर है। आवश्यक है कि सरकार को अपनी नीतियों तथा समाज को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। महिलाओं के प्रजनन अधिकार व एकीकरण को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है ?

हमें सामाजिक व आर्थिक भेदभाव की व्यवस्था तथा पितृसत्तात्मक सोच व मान्यताओं में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जिसके लिए व्यक्ति, समाज,राज्य व बाजार हर किसी को अपने– अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है–

परिवार नियोजन के स्वास्थ्य कर्मी अच्छी तरह से प्रशिक्षित, सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील, ग्राहकों की जरूरतों को सुनते हो, मैत्रीपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण हो। गर्भनिरोधक विधियों का विकल्प हो तथा साथ ही स्वच्छ सुविधाएं और शीघ्र सेवा प्रदान करना भी शामिल हो।

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जिसमें रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचाप व अन्य उपचार शामिल है, साथ ही शीघ्र यातायात की सुविधा प्रदान करना। प्रसवोत्तर समस्याओं का पता लगाने और उनका इलाज करने, स्तनपान, शिशु के देखभाल, स्वच्छता, टीकाकरण, परिवार नियोजन व अच्छा स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

गर्भपात और गर्भपात के बाद की देखभालय गर्भपात एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा। परिवार नियोजन सेवाएं अवांछित गर्भधारण और गर्भपात में कमी लाने का प्रयास करें उन्हें प्रोटेक्शन के बारे में जागरूकता प्रदान करें तथा गर्भपात के पश्चात् गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए इसे मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आएगी।

यौन संचारित रोगों की रोकथाम और उपचार पुरुषों की तुलना में महिलाएं एसटीडी के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के भीतर परिवार नियोजन और एसटीडी/एचआईवी/एड्स सेवाओं का एकीकरण एसटीडी के स्तर को कम कर सकता है, जिसमें शामिल हैं एचआईवी/एड्स जैसे गंभीर विषयों पर सूचना और परामर्श प्रदान करना, महिलाओं और पुरुषों को कामुकता, लिंग भूमिका व प्रोटेक्शन इत्यादि के बारे में जागरूक करना।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम में व्यापक रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है, तॉकि यह उन विवाहित महिलाओं की दुर्दशा के प्रति अधिक समावेशी और संवेदनशील हो सके, जिन्हें गर्भधारण करने और अपनी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण करने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ ही विवाहित स्त्रियोंके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

पैरंटहुड को बढ़ावा– बच्चे को जन्म देना जैविक रूप से निर्धारित होता है, परन्तु बच्चे का पालन पोषण नहीं, बच्चे के प्रति दोनों की ही समान जिम्मेदारी है इसलिए आवश्यक है कि सरकार व गैर सरकारी संस्था जिम्मेदार "पैरंटहुड" को प्रोत्साहित करें बच्चे को माता–पिता दोनों के भौतिक एवं भावुक समर्थन की जरूरत होती है।

सरकार को मातृत्व अवकाश बिल को हर विभाग, कंपनी व असंगठित क्षेत्रों में लागू करने की आवश्यकता है तथा इसकी व्यवहारिक स्थिति की भी जांच करें क्या यह अधिकार व प्रावधानों का लाभ सभी को मिल पा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं ने लैंगिक अंतर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के साथ कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। फिर भी महिलाओं और लड़कियों की तस्करी, मातृ स्वास्थ्य, हर साल गर्भपात से होने वाली मौतों की वास्तविकताओं ने उन सभी विकासों के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है, जो कभी–कभी इसे नकार भी देते है।

स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, ''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असंभव है, एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है।''

अमर्त्य सेन बहिष्करण की विविधता तथा उसके अनुरूप नीतियों का वर्णन करते हैं। सेन कहते हैं "बहिष्कारण की भाषा को समझना आवश्यक है– 'अनैच्छिक एकीकरण, साथ ही बहिष्करण', 'समान एकीकरण से बहिष्करणकहे' या 'बहिष्करण एकीकरण की मान्यता से' बहिष्करण का समाधान केवल समावेश ही नहीं बल्कि समान समावेश है।" व्यक्ति व समुह के समावेश के लिए बहिष्करण के हर स्तर को चुनौती देने की आवश्यक है, सामाजिक व्यवस्था तथा संस्थागत कानून में परिवर्तन करना तथा सक्रिय कानून निर्माण आवश्यक है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

निष्कर्ष– बहिष्कारण का बहिष्कृत समूह व व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व शारीरिक पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समस्या तो यह है कि स्त्री के कर्तव्य व जेंडर संबंधी अंतर को हमने प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लिया है हम उन्हें चुनौती ही नहीं देना चाहते। सेक्स निर्धारण प्राकृतिक है जेंडर समाज द्वारा निर्मित है जो स्त्री के अधीनता व भेदभाव का आधार, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस विभाजन को चुनौती देना अति आवश्यक है। महिलाओं को अपने जीवन से संबंधित हर निर्णय को लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा आवश्यक है कि सरकार इसके अनुरूप वातावरण, कानून व प्रावधानों का निर्माण करे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Silver, Hilary 2011 – The Process of Social EÛclusion]In Critical quest : New Delhi, P-No- 3.
2. Menon, Sangeet 2018 & Women's Reproductive Health is the most Neglected Thing in our Society, In Indian Development Review.
3. Reproductive Rights in Indian courts in centre for Reproductive Rights.
4. Jain, Sachin Kumar 2016 & Women Health] In Medical for Right.
5. Anandi, S 2004 & Women, Work and Abortion : A Case Study from Tamilnadu, In Economic and Political Weekly, Volume 42 12, P-No- 1057.
6. Sarkar, Lotika 2010 – Constitution Guarantees The Unequal se, In Social Science, P- No 6.
7. BaÛi, Upendra 2000& Gender and Reproductive Rights in India Problem and Prospects for New Millennium, UNFPA Lecture, Sep 6.
8. Sabarwal, Shagun & Sonthya K-G- 2012 – Treatment Seeking for Symptoms of Reproduc tive Tract Infection Among Young Woman in India] In International Perspective on SeÛual and Reproductive health, Volume 38 2, P-No- 90.
9. Gearge, Simi Rise 2006 & A Comparative Study of Constitutional Jurisprudence, Judicial Attitude and State Polican in India & the US, In Student Bar Review, Volume 18 1, P-No- 72.
10. K, Snow R- Integrating STD Management into Family Planning Services: What Are the Ben efits\, Department of Tropical Hygiene and Public Health:Germany 1998.
11. Tomasevski, Katarina 1995 – From Protection of Motherhood to Equal Rights in Women and Human Rights, Zed Book Ltd: USA] P-No-17.
12. Sen, Amartya 2004 & Social EÛclusion Concept Application and Scrutiny, Critical quest: New Delhi- P-No-11&12.

*****